



राइट टू बी फॉरगॉटन

प्रलिस के लयि:

अनुच्छेद 21, सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन

मेन्स के लयि:

राइट टू बी फॉरगॉटन से संबध वभिनिन पहलू

चरचा में क्यौं?

हाल ही में एक रयिलटी शो के प्रतयौगी ने दलिली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें उसके "राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF)" का हवाला देते हुए अपने वीडियो, फोटो और लेख आदिको इंटरनेट से हटाने की मांग की गई है।

- याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया कि "राइट टू बी फॉरगॉटन" "नजिता के अधिकार" के अनुरूप है, जो कसिंवधान के अनुच्छेद 21 ([जीवन का अधिकार](#)) का एक अभनिन अंग है।

प्रमुख बडि

परचिय:

- राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF):** यह इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइटों या कसिी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
- उत्पत्ति:** गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय ("CJEU") के वर्ष 2014 के नरिणय के बाद RTBF प्रचलन में आया।
 - RTBF को [सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन](#) (General Data Protection Regulation- GDPR) के तहत यूरोपीय संघ में एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
 - यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।
- भारत में स्थिति:** भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो। हालाँकि [नजि डेटा संरक्षण वधियक](#) (Personal Data Protection Bill) 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है।
 - [सुचना प्रौद्योगिकी अधनियम \(Information Technology Act\), 2000](#) कंप्यूटर ससि्टम से डेटा के संबध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
 - इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर ससि्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक और RTBF:

- दसिंबर, 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक लोकसभा में पेश कयिा गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लयि प्रावधान करना है।
- "डेटा प्रसिपिल के अधिकार" शीर्षक वाले इस मसौदा वधियक के अध्याय V के खंड 20 में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' का उल्लेख है।
 - इसमें कहा गया है कि "डेटा प्रसिपिल (जसि व्यक्ति से डेटा संबधति है) को 'डेटा फडियूशरी' द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के नरितर प्रकटीकरण को प्रतबिंधति करने या रोकने का अधिकार होगा।"
 - इसलयि मोटे तौर पर 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के तहत उपयोगकर्ता डेटा न्यासयिों द्वारा रखी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को डी-लिक कर सकते हैं, सीमति कर सकते हैं, हटा सकते हैं या सही कर सकते हैं।
 - डेटा फडियूशरी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जसिमें राज्य, कंपनी, कोई कानूनी संस्था या कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो अकेले या दूसरों के साथ मलिकर व्यक्तिगत डेटा प्रसंसकरण के उद्देश्य और साधनों को नरिधारति करता है।
 - डेटा सुरक्षा प्राधकिरण (DPA):** यद्यपि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबधति व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से

नरिधारति नही कयिा जा सकतल है, लेकनल डेटल सुरकषल प्रलधकलरण (DPA) दवलरल इसकी नगरलनी की जलएगी ।

- इसकल मतलब यह है कल डलरलफ़्ट बलल कूछ प्रलवधलन करतल है जसलके तहत एक डेटल प्रसलपलल अपने डेटल को हटलने की मलंग कर सकतल है, उसके अधकलर DPA के लयल कलम करने वलले एडजुडकलटलंग ऑफसरल दवलरल प्रलधकलरण के अधीन है ।
- डेटल प्रसलपलल के अनुरोध कल आकलन करते समय इस अधकलरी को वयकतगत डेटल की संवेदनशीलतल, प्रकटीकरण के पैमलने, प्रतबलधतल होने की मलंग की डलगरी, सलरवजनकल जीवन में डेटल प्रसलपलल की भूमकल और कूछ अन्य के बीच प्रकटीकरण की प्रकृतल की जलँच करने की आवश्यकतल होगी ।

नजलतल कल अधकलर और 'रलइट टू बी फॉरगॉटन':

- 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' कसल वयकतल के नजलतल के अधकलर के दलररे में आतल है, जसल प्रलरल: वयकतगत डेटल संरकषण वधयक, 2019 दवलरल वनयलमतल कयल जलतल है ।
- वरष 2017 में सर्वोच्च नयलललय ने ऐतलहलसकल पुट्टसवलमी मलमले में अपने नरलमलण में 'नजलतल के अधकलर' को मौलकल अधकलर घोषतल कयल थल ।
 - नयलललय ने अपने नरलमलण में स्पष्ट कयल थल कल 'नजलतल कल अधकलर अनुच्छेद-21 के तहतजलवन और वयकतगत स्वतंतुरतल के अधकलर के आंतरकल हसलसे के रूप में और संवधलन के भलग-III दवलरल गलरंटीकृत स्वतंतुरतल के एक हसलसे के रूप में संरकषतल है ।'

चुनौतयलँ

- **सलरवजनकल रकलँरड के सलथ टकरलव:** 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' अथवल भूल जलने कल अधकलर सलरवजनकल रकलँरड से जुड़े मलमलँ के वरुलद्ध हो सकतल है ।
 - उदलहरण के लयल नयलललयलँ के नरलणयलँ को हमेशल सलरवजनकल रकलँरड के रूप में मलनल जलतल है और भरतल व सलकष्य अधनयलम, 1872 की धलरल-74 के अनुसलर इन्हँ सलरवजनकल दसतलवेज की प्रभलषल के अंतरगत शलमल कयल जलतल है ।
 - आधकलरकल सलरवजनकल रकलँरड, वशलष रूप से नयलकल रकलँरड को 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' के दलररे में शलमल नही कयल जल सकतल है कयलँकल यह दीरघकलल में नयलकल प्रणलली में आम जनतल के वशलवलस को कमजोर करेगल ।
- **वयकतल बनलम सलमलज:** 'रलइट टू बी फॉरगॉटन' वयकतलँ की नजलतल के अधकलर और सलमलज के सूचना के अधकलर तथल प्रेस की स्वतंतुरतल के बीच दुवधल पैदल करतल है ।

आगे की रलह

- गलपनीयतल के अधकलर और वयकतगत डेटल की सुरकषल (अनुच्छेद-21) तथल इंटरनेट उपयलगकरततलओ की सूचना की स्वतंतुरतल (अनुच्छेद-19) के बीच संतुलन सथलपतल कयल जलनल आवश्यक है ।
- डेटल संरकषण कलनून के मलधयम से इन मुददँ को संबोधतल कयल जलनल आवश्यक है और दो मौलकल अधकलरलँ के बीच संघरष को कम कयल जलनल चलहयल जो भरतल व संवधलन के **सवरण तुरमलरतल (अनुच्छेद-14, 19 और 21)** कल महतत्वपूर्ण हसलसल है ।

सुरलत: इंडयलन एकसप्रेस